नागरिक अधिकार पत्र

योजना और सांख्यिकी विभाग

योजना और सांख्यिकी के उप निदेशक को अपर मुख्य पंजीयक, जन्म और मृत्यु, संघ राज्यक्षेत्र दमण एवं दीव के रूप में भी नामनिर्दिष्ट किया गया है तथा वे जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रणाली का समन्वयन भी करते हैं, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

I. **जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण**

(क) **आरंभिक रजिस्ट्रीकरण :** जन्म और मृत्यु की प्रत्येक घटनाको जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार उसके घटित होने के 21 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकृत करना अनिवार्य है।

(ख) **जन्म और मृत्यु का विलंबित रजिस्ट्रीकरण और उसके लिए संदेय शुल्क:**

i. जन्म और मृत्यु की किसी घटना, जिसके बारे में पंजीयक को सूचना उसके घटित होने के 21 दिन बाद, परंतु 30 दिन के भीतर दी गई है, दो रुपए के विलंब शुल्क के भुगतान पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

ii. जन्म और मृत्यु की किसी घटना, जिसके बारे में पंजीयक को सूचना उसके घटित होने के 30 दिन बाद, परंतु एक वर्ष दिन के भीतर दी गई है, पांच रुपए के विलंब शुल्क के भुगतान पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

iii. जन्म और मृत्यु की कोई घटना, जो एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है, केवल मजिस्ट्रेट के आदेश के पश्चात् ही दस रुपए के भुगतान पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(ग) अभिलेखों की तलाश

i. प्रथम वर्ष में एक प्रविष्टि जिसके लिए तलाश की जा रही है, की तलाश के लिए 2.00 रुपए

ii. प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, जिसके लिए तलाश जारी है 2.00 रुपए

iii. प्रत्येक जन्म और मृत्यु से संबंधित उद्हरण प्रदान करने के लिए 5.00 रुपए

iv. जन्म अथवा मृत्यु के लिए अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 2.00 रुपए

घटना के रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् **सामान्यत: प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि 8 दिन नियत की गई है** (8 दिन के पश्चात् संबंधित केन्द्र के पंजीयक को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न करने क लिए आवेदक को वैध कारण बताना होगा)। यदि जन्म अथवा मृत्यु के उद्धरण विनिर्धारित अवधि के भीतर संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जाते हैं,

तो पंजीयक अथवा अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति उसे उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के 15 दिन के भीतर डाक द्वारा संबंधित परिवार को भेज देगा।

(घ) जन्म और मृत्यु अभिलेखों में नाम की शुद्धि

आवेदक को स्वयं के एक शपथ पत्र और दो साक्षियों के साथ संबंधित जन्म और मृत्यु पंजीयक को आवेदन करना चाहिए जिसके साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे:

i. स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र

ii. पिता और माता का जन्म प्रमाण पत्र

iii. सिविल पंजीयक द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र

शुद्धि किए जाने की सामान्य अवधि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 20 दिन है।

रजिस्ट्रीकरण और शुद्धि करने के लिए संपर्क किए जाने वाले प्राधिकारी/अधिकारी

1. ग्रामीण क्षेत्र : ग्राम पंचायत सचिव/जन्म एवं मृत्यु पंजीयक।

2. शहरी क्षेत्र : मुख्य अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु, नगरपालिका परिषद।

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 तथा दमण एवं दीव जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के अंतर्गत अभिहित अधिकारी

1.	विकास आयुक्त/सचिव (योजना), दमण एवं दीव	मुख्य पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु, संघ राज्यक्षेत्र दमण एवं दीव
2.	उप निदेशक (योजनाएं और सांख्यिकी) दमण	अपर मुख्य पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु, संघ राज्यक्षेत्र दमण एवं दीव
3.	कलक्टर, दमण एवं दीव	जिला पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु संबधित जिलों के लिए
4.	खंड विकास अधिकारी	अपर जिला पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु संबधित जिलों के लिए